whether there is any likelihood of members getting their money back with interest and if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. However, a society under the names of Kendriya Swasthya Sewa Coop. Group Housing Society Ltd., is registered with the office of the Registrar, Cooperative Society, with registration No. 1770.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir, a long period has passed.

(d) As per criteria laid down by the Delhi High Court in Civil Writ Petition No. 2885 of 1990, the date of registration is the basis for seniority for allotment of land. The name of this society does not figure in the list of societies which have been offered land by the DDA.

(e) Since the society does not figure in the eligible list of societies, The question of affixing responsibility does not arise. The society will get a refund with 12 per cent. interest payable from the date of application for refund. The process making of refund to said societies has started by DDA.

केन्द्रीय सरकार द्वारा पेयजल में वृद्धि के लिये मध्य प्रदेश को सहायता दिया जाना

4561. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये वर्ष 1990–91 से 1992–93 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कितनी धनराशि इस प्रयोजनार्थ व्यय की;

(ख) इस अवधि के दौरान नलकूप खोदकर कितने हैंडपम्प और विद्युत पम्प स्थापित किये गये और कितनी नल जल योजनाओं और शहरी जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य में कुल कितने स्थापित हैंड पंपों को अनुपयोगी घोषित किया गया, कितने हैंड पंपों को और गहरा किया गया तथा कितनी जल प्रदाय योजनाओं के विस्तार की स्वीकृति दी गयी ; और

(घ) पेय जल उपलब्ध करवाने हेतु हैंड पंपों की स्थापना, इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित न्यूनतम जलस्तर तथा इस प्रकार उपलब्ध जल की जांच हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सूचना विवरण में है । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) उपर्युक्त अवधि में 48542 नलकूप खोदे गये थे जिनमें से 42597 नलकूप कामयाब पाये गये और 41250 हैंडपंप लगाये गये हैं तथा नल द्वारा पानी की सप्लाई के लिये 121 स्कीमें चालू की गयी है । उपर्युक्त अवधि में शहरी क्षेत्रों में 84 शहरी जल आपूर्ति स्कीमें पूरी की गयी थीं ।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रारंभ से 6158 हैंड पंप लगाये गये, 13805 नलकूप सूख गये और राइजर पाइपों में से जल स्तर घट जाने के कारण 3303 नलकूप अनुपयोगी हो गये, इस प्रकार लगाये गये 2,46,444 हैंड पंपों में से 23266 हैंड पंप अनुपयोगी हो गये । इस अवधि के दौरान सरकार ने नल द्वारा जल आपूर्ति की 127 स्कीमें स्वीकृत की है ।

(घ) पेय जल आपूर्ति मुहैया करने के लिये प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिये एक हैंड पंप की व्यवस्था करने का मानदंड है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रति दिन प्रति व्यक्ति लगभग 40 लीटर की जल आपूर्ति मुहैया की जा रही है । जल की गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य में एक चलती-फिरती प्रयोगशाला सहित 22 प्रयोगशालायें सुलभ हैं । कार्यक्रम के प्रारंभ से ही जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु हैंड पंपों पर 2447 लौह अपनयन (रीमूवल) संयंत्र और 8 फलोराइड संयंत्र स्थापित किये गये हैं ।

विवरण

(क) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति मुहैया करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि का वर्षवार विवरण:—

(लाख रुपयों में)

सं०	वर्ष	रिलीज की गई राशि	किया गया व्यय	पूरी की जाने वाली शेष देयतायें
1.	1990–91	2755.15	2644.01	117.14
2.	1991–92	4139.15	3904.41	228.40
3.	1992–93	3080.27	3286.06	—

उपर्युक्त की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुहैया किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की वर्षवार धनराशि इस प्रकार है :—

क्र०सं०	वर्ष	रिलीज की गयी धन राशि	किया गया व्यय	पूरी की जाने वाली शेष देयतायें
1	1990–91	2812.33	2752.76	139.57
2	1991–92	3436.33	3186.47	298.86
3	1992–93	3770.27	3587.33	—